सुरिंदर सिंह

बनाम

भारत संघ व अन्य

दिनांकः-30 मार्च, 2007

(माननीय न्यायाधीश ए. के. माथुर व लोकेश्वर सिंह पंटा, जे. जे.)

सेवा कानून:-

चयन- अधिमान्ययोग्यता-क्षेत्र व दायरा - डाकविभाग-अतिरिक्त विभागीयवितरण एजेंट- योग्यता- 8 वीं कक्षा 10 वीं कक्षा योग्यताधारी को अधिमान्यता - कक्षा - 10 वींमें अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति - नियुक्ति वैध मानी गई। भारत सरकार - संचार मंत्रालय- डाक विभाग- परिपत्र दिनांक 12.3.1993-खंड 2(पअ)-डाकघर निदेशालय-पत्र संख्या 19-17/97-ई .डी. वटी .आर .जी.। दिनांकित 21.11.1997

अपीलार्थी का चयन सीधी भर्ती के माध्यम से किया जाकर उसे एक अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट (ईडीडीए) के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 04 ने अपीलार्थी की नियुक्ति को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी।

प्रत्यर्थी संख्या 04 ने अन्य आधारों सहितइस आधार पर कि भारत

सरकार, संचार मंत्रालय डाक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.3.1993 के अनुसार संबंधित पद के लिए न्यूनतम योग्यता 8 वीं कक्षा थी और चूंकि उसने अपीलार्थी की तुलना में 8 वीं कक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए थे इसलिए उसके बाद वाले उम्मीदवार का चयन अधिमान्य योग्यता के आधार पर नहीं किया जा सकता था।

अपीलार्थी का प्रकरण इस प्रकार से था कि परिपत्र दिनांक 12.3.1993 के अनुसार न्यूनतम योग्यता 08 वी कक्षा थी व 10 वीं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान्यता दी जानी थी। अपीलार्थी का आगे यह कथन रहा है कि डाकघर निदेशालय के पत्र संख्या19-17/97 ईडी व टीआरजी दिनांक 21.11.1997 के अनुसार उम्मीदवारों का चयन अधिमान्य योग्यता अर्थात 10 वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर किया जाना था। चूंकि अपीलार्थीगण ने 10 वीं कक्षा में 55.08 प्रतिशत अंक प्राप्त किए जबकिप्रत्यर्थी सं. 04 के 10 वीं कक्षा में 41.00 प्रतिशत अंक थे। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की नियुक्ति को रद्द कर दिया और विभाग को नए सिरे से चयन करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी की रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा सीमित आधारोंपर खारिज कर दिए जाने के बाद अपीलार्थी ने उक्त अपील दायर की।

अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी। माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया-

1.1 अपीलार्थी का चयन विभाग द्वारा समय≤ पर बनाए गए नवीनतम दिशा-निर्देशों/मानदंडों/निर्देशों के अनुसार चयन समिति द्वारा किया गया है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण व उच्च न्यायालय दोनांे ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22.07.1998 को बनाए गए दिशानिर्देशों/मानदंडों/निर्देशों में निहित उद्वेश्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। कैट ईडीडीए के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। संबंधित पदों के लिए उपयुक्त सेवा शर्तें निर्धारित करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है।

दिशानिर्देश/मानदंड/निर्देश दिनांकित 12.03.93 से संबंधित खंड 2 का उपखंड (पअ) अधिमान्य योग्यता के संबंध में एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करता है। खंड-02 का उपखंड-(पअ) में यहस्पष्ट शर्त है कि दसवीं की योग्यता से उच्च किसी भी योग्यता को अधिमान्यता नहीं दी जाएगी। अधिमान्य योग्यता को अधिक प्रभावी व दक्ष योग्यता के रूप में विचार योग्य माना गया और यह स्पष्ट धारणा है कि प्रश्नगत पद के लिए उक्त योग्यता धारक सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होते है। (पैरा 16 व 17)(580-जी-एच 581-ए-ई)

1.2 सेवा न्यायशास्त्र में अधिमान्य योग्यता की अवधारणा न केवल संख्यात्मक श्रेष्ठता को संदर्भित करता है बल्कि यह आवश्यक रूप से

बेहतर मानसिक क्षमता, योग्यता और उन जिम्मेदारियों को निभाने की परिपक्वता से संबंधित है जो किसी विशेष पद पर चयन के बाद उम्मीदवारों को सौंपी जाती है। कुशल और प्रभावी प्रशासन के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है। किसी विशिष्ट पद के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का मूल उद्देश्य उस पद के लिए न्यूनतम योग्यता के आधार पर एकस्तर रखना होता है। अधिमान्य योग्यता निर्धारित करने का मूल उद्देश्य उन सभी उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है जो दूसरों की तुलना में अधिक क्षमता रखता है। (पैरा 17, 581-ए-सी)

आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. दिलीप कुमार व अन्य (1993) 2 एस.सी.सी. 310 का अवलंब लिया गया।

1.3 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को यथावत रखा गया, को अपास्त किया गया। (पैरा 13)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता:- सिविल अपील सं.143 वर्ष 2001

वर्ष 2000 के कैट के आदेश के विरूद्वरिट याचिका संख्या 13230 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.09.2000

विद्वान अधिवक्ता एस. के. बंसल, सावित्री बंसल और हरबंस लाल

बजाज --वास्ते अपीलार्थी

विद्वान अधिवक्ता टी. एस. दोआबिया, संदीप सिंह, पी. परमेश्वरन और के. के. गुप्ता --वास्ते प्रत्यर्थी

1. वर्तमान अपील पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका छव.13280-ब्।ज्ध्2000 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.09.2000 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। उक्तआदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण चंडीगढ़ द्वारा ओ. ए. सं. 171 एच.आर./2000 में आदेश को पुष्ट किया।

2. इस अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

3. भारत सरकार के संचार मंत्रालय, डाक विभाग प्रत्यर्थी सं. 1 ने परिपत्र 12.03.1993 के माध्यम से अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट (संक्षिप्त में षईडीडीएष) के पद सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को संशोधित किया। उक्त परिपत्र के अनुसार, ईडीडीए आदि के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना और मैट्रिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाना तय किया गया। हालांकि, मैट्रिक से उपर की किसी भी योग्यता के लिए कोई अधिमान्यता नहीं दी जानी थी।

4. अपीलार्थी के अनुसार, डाकघर निदेशालय ने एक पत्र 19-17/97-ई.डी.-टी.आर.जी. दिनांक 21.11.97 मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल (सी.पी.एम.जी.), एच.आर. सर्कल अंबाला को जारी किया गया जिसके द्वारा विभाग ने निर्णय लिया था कि ई.डी.डी.ए. के चयन के लिए उम्मीदवारों की वरीयतासूचीअधिमान्य योग्यता धारक उम्मीदवार उपलब्ध होने की दशा में अधिमान्य योग्यता (अर्थात मैट्रिक) में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जावे। अगर अधिमान्य योग्यता धारक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनिवार्य योग्यता कक्षा 08 के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावे।

5. डाकघर अधीक्षक, कुरुक्षेत्र के पत्र डीएन. 136118 दिनांकित 30.07.1998 की पालना में डाकघर सहायक अधीक्षक, उत्तर उप-मंडल, कुरुक्षेत्र-प्रत्यर्थी सं. 3 ने मई 1999 में रोजगार केंद्र को ईडीडीए के एक पद हेतु अधिसूचित किया। इसकी पालना में रोजगार केंद्र ने कुछ उम्मीदवारों के नाम अग्रेषित किए जिनमें अपीलार्थी और धरमपाल, प्रत्यर्थी संख्या 4 के नाम शामिल थे। रिक्त पद को सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से भी अधिसूचित किया गया था। इस पद के लिए कुल 20 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

6. अपीलार्थी का प्रकरण यह है कि उसने अपनी 10वी कक्षा की परीक्षा स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा से परीक्षा वर्ष 1987 में उत्तीर्ण की

जिसमें उसने कुल 900 अंकों में से 503 अंक ;अर्थात 55.80 प्रतिशतद्ध प्राप्त किए। अपीलार्थी ने वर्ष 1991 में स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा से उच्च माध्यमिक परीक्षा पास की। आगे यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 ने दसवीं की परीक्षा में 41.00 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/मानदंडों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ईडीडीएके पद के लिए उम्मीदवारों की योग्यता सूची अधिमान्य योग्यता अर्थात 10 वी कक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार की गई है और चयन समिति ने अपीलार्थी को वरीयतासूची के आधार पर ईडीडीए के पद पर चयन कर नियुक्ति प्रदान की।

7. प्रत्यर्थी सं. 4 ने अपीलार्थी की नियुक्ति को अन्य आधारों के साथ-साथ इस आधार पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण चंडीगढ़ के समक्ष चुनौती दी कि उसके पास संबंधित परिपत्र के अनुसार ईडीडीए के पद के लिए न्यूनतम योग्यता 08 वीं कक्षा धारित थी और उसके 08 वीं कक्षा में अपीलार्थी से अधिक अंक थे। अतः अपीलार्थी को अधिमान्य योग्यता के आधार पर प्रश्नगत पद के लिए चयनित नहीं किया जा सकता है।

8. अपीलार्थी और डाक विभाग ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण चंडीगढ़में प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा प्रस्तुत दावे का पृथक-पृथक प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत कर विरोध किया।तत्पश्चात् बाद सुनवाई केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण चंडीगढ़ ने ईडीडीए के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति को रद्द कर

दिया और प्रत्यर्थी विभाग को कानून के अनुसार पुनः नए सिरे से विधिनुसार चयन करने का निर्देश दिया।

9. कैट के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट अन्य आधारो के साथ साथ इस आधार पर प्रस्तुत कीकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण चंडीगढ़ द्वारा पारित निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है अतः उक्त निर्णय कायम रखने योग्य नहीं है। अपीलार्थी के अनुसार कैट ने सीपीएमजी हरियाणा अम्बाला द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों/मानदंडों/निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। उक्त दिशा निर्देशों एंव मानदण्डांेें की एक काॅपी कैट की पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसके अनुसार ईडीडीए के पद पर उम्मीदवार का चयन अधिमान्य योग्यता अर्थात 10वीं कक्षा के आधार पर किया जा सकता है। अपीलार्थी का कैट के समक्ष यह भी तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी सं.4 को अपीलार्थी के चयन और नियुक्ति को प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा व अपीलार्थी दोनों द्वारा 8वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की तुलना के आधार पर चुनौेती देने की अधिकारितानहीं है क्यांेकि 8वीं कक्षा के प्राप्तांक चयन समिति द्वारा चयन के लिए विचार में लिए जाते हैं तो प्रत्यर्थी सं.4 का चयन नहीं हो सकता क्यांेकि प्रत्यर्थी सं.4 के अलावा भी कई उम्मीदवार ऐसे थे जिनके 8वीं कक्षा अर्थात न्यूनतम योग्यता में प्रत्यर्थी सं. 4 से अधिक अंक थे। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी कथन

किया कि कैट ने प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/मानदंडों को पुनः निर्धारित करने का प्रयास कर अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य किया है।

10. हमने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश का अध्ययन किया। उच्च न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए रिट पिटीशन को केवल मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि पहले ही समान तथ्यों पर आधारित इसी तरह का मामलासी.डब्ल्यू.पी. संख्या 11812-सी.ए.टी. 2000 निर्णय दिनांक 04.09.2000 का निपटारा किया जा चुका है।जिसमें इसी प्रकार के आदेश, जो कि कैट द्वारा पारित किया गया था, को चुनौती दी गयी थी।

उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.पी. सं. 11812- सी.ए.टी. 2000 के आदेश में कैट द्वारा अभिनिर्धारित बिंदुओं को निम्नानुसार उदधृत किया कि-

> "पैरा संख्या-5. हमारा विचार है कि किसी भी विभाग द्वारा अधिमान्यता खंड भर्ती में नियुक्ति हेतु लागू किया जा सकता है जब दो वरीयता धारक उम्मीदवारों के मध्य कई अन्य चीजें समान हो। जब दो उम्मीदवार 8 वीं कक्षा में समान अंक रखते हों और अन्य मानदण्डों में भी उक्त उम्मीदवार समकक्ष हो, तब अधिमान्य खंड को प्रभाव में

लाया जा सकता है।''

11. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष इस आधार पर दिया है कि-

"हमारा मानना यह है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना, जहाँ अधिकरण ने परिपत्र दिनांक 27.11.1997 को रद्द करने के संबंध में जो व्याख्या की है वह उचित प्रतीत नहीं होती। यह इस संदर्भ में था कि जिस प्रकार से याचीगण ने परिपत्र की जो व्याख्या की वह उचित नहीं है। परिपत्र की व्याख्या अधिकरण द्वारा पैराग्राफ संख्या 5 के अनुसार होनी चाहिए जो पहले से ही उद्धृत किया जा चुका है। हम अत्यधिक सावधानीपूर्वक यह निर्धारित करते हैं कि परिपत्र दिनांकित 27.11.1997 को रद्द नहीं किया जा सकता बल्कि अधिकरण के निर्णय के पैरा संख्या 5 के अनुरूप इसकी व्याख्या की जाएगी, जो पहले उद्धृत किया जा चुका है।"

12. उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है।

13. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के गहनतापुर्वक परिशीलन करने व पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणांे द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने

के पश्चात् हमारे मत में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारितआदेश को उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखने का जो आदेश पारित किया गया है वह विधि-सम्मत नहीं हैं अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कायम रखने योग्य नहीं है।

14. हमने संचार मंत्रालय, भारत सरकार व डाक विभाग द्वारा ईडी एजेंट की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता के संशोधन के विषय में निर्धारित किए गये दिशानिर्देश/मानदंड/निर्देश दिनांकित 24.03.1993 का अवलोकन किया। ईडी सूपूर्दगी एजेंट, ईडी स्टाम्प विक्रेता व ईडी की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए खण्ड 2 का उपखंड (पअ) में विहित दिशानिर्देश/मानदंड/निर्देश द्वारा उम्मीदवार का आठवीं कक्षा का उर्तीण होना न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया गया है तथा दसवी कक्षा के उम्मदीवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

यद्यपि, यह भी विहित किया गया है कि दसवीं कक्षा से अधिक शैक्षिणिक योग्यता प्राप्त उम्मदवारों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। निदेशक डाक विभाग के अन्य परिपत्र संख्या 19-17/97-ईडी व टीआरजी, दिनांक 21.11.1997 के अनुसार ईडीडीए के पर पर उम्मीदवारोंके चयन के लिए अगर दसवीं कक्षा उर्तीण उम्मीदवार उपलब्ध हो तो उक्त उम्मीदवारों के दसवीं कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता सूची बनाई जाएगी अन्यथा उम्मीदवारों के आठवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर

योग्यता सूची बनाई जाएगी।

15. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी परिपत्र व प्रत्यर्थी सं. 2 सीपीएमजी,एचआर अंबाला द्वारा हस्ताक्षरित नवीनतम दिशानिर्देशों/ मानदंडों/ निर्देशो की प्रतियां उनके द्वारा अपने खण्ड़के डाकघरों के मुख्य अधीक्षक को प्रेषित की गयी।प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी किये गये परिपत्र को डाक अधीक्षक, कुरूक्षेत्र ने अपने खण्ड में स्थित सभी भर्ती इकाईयों को सूचनार्थ व अवश्यक कार्यवाही हेतु डिस्पेच सं. 136118 द्वारा उक्त परिपत्र को वितरित किया गया। इसके अनुसरण में, प्रत्यर्थी सं. 03, सहायक डाक अधीक्षक, उत्तरी खंड कुरूक्षेत्र द्वारा रोजगार केन्द्र को ईडीडीए के पद पर भर्ती हेतू योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु विज्ञप्ति जारी करने हेतु अभ्यर्थना जारी की।

इसके साथ ही सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों से सार्वजनिक सूचना द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 धर्मपाल सहित कुल 20 उम्मीदवार ईडीडीए के पद पर चयन हेतु गठित चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। चयन समिति ने अपीलार्थी को अधिमान्य योग्यता के आधार पर अर्थात दसवीं कक्षा में प्रत्यर्थी संख्या 4 की तुलना में अधिक अंक होने के कारण ईडीडीए के पद हेतु चयनित किया, क्योंकि अपीलार्थी के दसवी कक्षा में प्राप्तांक 55.8 प्रतिशत व प्रत्यर्थी संख्या 4 के प्राप्तांक 41 प्रतिशत थे। यह स्वीकृत स्थिति हैं कि

ईडीडीए के पद के लिए न्यूनतम योग्यता आठवी कक्षा उतीर्ण होना निर्धारित किया गया है। चयन समिति ने अपीलार्थी का चयन विभाग द्वारा समय समय पर जारी की गई नवीनतम दिशानिर्देशों/ मानदंडों/ निर्देशों का कठोरतापुर्वक अनुसरण करते हुए किया है।

16. उक्त नवीनतम दिशानिर्देश/ मानदंड/ निर्देश में यह स्पष्ट रूप से विहित है कि ईडीडीए के पद के लिए अगर दसवीं कक्षा उर्तीण उम्मीदवार उपलब्ध हो तो चयन समिति द्वारा अधिमान्य योग्यता अर्थात दसवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए और अगर दसवीं कक्षा उतीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो अनिवार्य योग्यता अर्थात आठवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय व केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देश/ मानदंड/ निर्देश दिनांकित 21.07.1998 के उद्देश्यों को नजरअंदाज किया है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ईडीडीए के पद के लिए चयन एवं नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है। संबंधित पदों के लिए उपयुक्त सेवा शर्तों को निर्धारित करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है।

17. सेवा न्यायशास्त्र में अधिमान्य योग्यता की अवधारणा न केवल संख्यात्मक श्रेष्ठता को संदर्भित करता है बल्कि यह आवश्यक रूप से

बेहतर मानसिक क्षमता, योग्यता और उन जिम्मेदारियों को निभाने की परिपक्वता से संबंधित है जो किसी विशेष पद पर चयन के बाद उम्मीदवारों को सौंपी जाती है। कुशल और प्रभावी प्रशासन के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है। किसी विशिष्ट पद के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का मूल उद्देश्य उस पद के लिए न्यूनतम योग्यता के आधार पर अंतिम स्तर रखना होता है।

अधिमान्य योग्यता निर्धारित करने का मूल उद्देश्य उन सभी उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है जिनके पास दूसरों की तुलना में अधिक दक्षता है। दिशानिर्देश /मानदंड/ निर्देश दिनांकित 12.03.93 से संबंधित खंड 2 का उपखंड (iv) अधिमान्य योग्यता के संबंध में एक सीमा निर्धारित करता है। खंड-02 का उपखंड -(iv) में यहस्पष्ट शर्त है कि दसवीं की योग्यता से उच्च किसी भी योग्यता को अधिमान्यता नहीं दी जाएगी। अधिमान्य योग्यता को अधिक प्रभावी व निपुण योग्यता के रूप में विचार योग्य माना गया और यह स्पष्ट धारणा है कि प्रश्नगत पद के लिए उक्त योग्यता धारक सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होते है।

18# श्री यू. एस. पुरिया, सहायक महानिदेशक (ईडी), डाक विभाग, नई दिल्ली, ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रति शपथ पत्र में यह कथित किया हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 4, धर्मपाल कोउसके पिता बाबू राम, जिनकी मृत्यु टेंगौर कुरुक्षेत्र में ईडीडीए. बी. ओ. के रूप में काम करते

हुए हुई थी, के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति दी गई थी।

उन्होंने ये भी कथिन किया हैं कि प्रत्यर्थी सं. 4 की नियुक्ति सीपीएमजी, हरियाणा सर्कल, अंबाला के अनुमोदन के अध्यधीन थी। प्रत्यर्थी स.4 ने ईडीडीए के रूप में दिनांक 26.04.1997 से 31.03.1999 तक कार्य किया। क्षेत्रीय चयन समिति ने बाद में यह पाया कि बाबूराम मृतक के दो अन्य पुत्र पुर्व से ही नौकरी में थे। इसलिए प्रत्यर्थी सं0 4 की ईडीडीए के रूप में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया और बी.ओ, टंेगौर कुरूक्षेत्र के इडीडीए, का कार्यभार नियमित ईडी कार्मिक बुधसिंह, जो आर्मी डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर था और दिनांक 15.03.1999 से कथित सेवा से मुक्त हुआ, को दिया गया। बुधसिंह ने दिनांक 31.03.1999 को जब प्रत्यर्थी सं0 4 कार्यभार से मुक्त किया गया तब कार्यभार ग्रहण किया। यद्यपि, बुधसिंह दिनांक 01.04.1999 से अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं आया अतः बुधसिंह के विरूद्व नियमानुसार विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।

अन्ततः, बुधसिंह को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिनांकित 15.09.1999 द्वारा सेवा से हटा दिया गया। इन परिस्थितियों में ईडीडीए के पद पर भर्ती हेतु रोजगार कार्यालय व आम जनता में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई। प्रत्यर्थी स. 1 व 2 ने अपीलार्थी के चयन

व नियुक्ति को उसके द्वारा दसवी कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विधि सम्मत माना। प्रत्यर्थी सं 1 व 2 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित दिशानिर्देश/मानदंड/निर्देश के अनुसार अपीलार्थी अधिमान्य योग्यताधारक था।

19. इस न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. दिलीप कुमार व अन्य.(1993)2 एस.सी.सी. 310 के पैराग्राफ 13 में यह अभिनिर्धारित किया हैं कि-

> ''13. ...... नियोक्ता द्वारा सेवा के लिए उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता देना कतई मनमाना व उचित नहीं है। अनेकानेक निर्णयों के द्वारायह सुस्थापित किया जा चुका है की उच्च प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण करना हमारी संवैधानिक योजना के तहत अनुमत है।''

20. इसके अलावा, पैराग्राफ 15 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

> ''15. ...... यह सत्य हैं कि अधिमान्यता नियम के बावजूद भर्ती एजेंसी को यह विकल्प प्राप्त होता हैं कि वह उच्च योग्यता धारी उम्मीदवारों को सेवा में प्रवेश देने के उद्दश्य से तथा चयन

को सीमित करने की दृष्टि से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर उसको उम्मीदवारों के चयन के लिए विचार कर सकती है।"

21. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति और सुस्थापित विधि को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय व केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशपुष्ट किए जाने योग्य नहीं है।

22. उपरोक्तनुसार किये गये विवेचनानुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पंजाब एव हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 13280 -सीएटी /2000 में पारित आदेश व निर्णय दिनांक 27.09.2019, जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण चण्ड़ीगढ़ पीठ, चण्डीगढ द्वारा ओ.ए संख्या 171 एचआर / 2000 में पारित आदेश को पुष्ट किया गया, को अपास्त किया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रवि प्रकाश सुथार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।